उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

राज्यसात अपील वाद संख्या – 12/2018

ज्ञानी महतो बनाम् राज्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहि
03/03/2021	**–:: आदेश ::–** अभिलेख उपस्थापित। प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ के न्यायालय में दायर राज्यसात वाद संख्या–102/2013 राज्य बनाम् ज्ञानी महतो एवं अन्य में दिनांक–28.03.2016 को पारित आदेश के विरूद्ध उपायुक्त का न्यायालय, रामगढ़ में दायर राज्यसात अपील वाद संख्या–17/2016 ज्ञानी महतो बनाम् राज्य में दिनांक–17.12.2019 को पारित आदेश के विरूद्ध विद्वान पुनरीक्षण पदाधिकारी–सह–अपर मुख्य सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, झारखण्ड, राँची में भारतीय वन अधिनियम–1927 की धारा–52 बी० के अन्तर्गत रिविजन पिटिशन संख्या–06/वन मुक०(सी०)–73/2017 ज्ञानी महतो बनाम् वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ से सम्बन्धित वाद दायर किया गया। विद्वान पुनरीक्षण पदाधिकारी–सह–अपर मुख्य सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, झारखण्ड, राँची के द्वारा दिनांक–02.05.2018 को पारित आदेश में उपायुक्त का न्यायालय, रामगढ़ में दायर राज्यसात अपील वाद संख्या–17/2016 ज्ञानी महतो बनाम् राज्य में दिनांक–17.12.2019 को पारित आदेश Set aside करते हुए पुनः नये सिरे से सुनवाई कर आदेश पारित करने हेतु उपायुक्त, रामगढ़ को रिमाण्ड बैक किया गया है। तत्पश्चात् वाद से सम्बन्धित पक्षकार को नोटिस निर्गत करते हए निम्न न्यायालय का अभिलेख प्राप्त कर सुनवाई की कार्रवाई प्रारम्भ की गई। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कहना है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसंगत् नहीं है। इनका यह भी कहना है कि ट्रैक्टर संख्या–JH-02K-0237 पर लदा कोयला वन भूमि अन्तर्गत उत्खनित नहीं है, इस लिए भारतीय वन अधिनियम–1927 की धारा–33 का उल्लंघन के आरोप में धारा–52(3) के तहत् राज्यसात की कार्रवाई नियम संगत नहीं है। इन्होंने निम्न न्यायालय द्वारा भारतीय वन अधिनियम–1927 की धारा–52(3) के तहत् राज्यसात की कार्रवाई को Set-aside करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत करने हेतु अनुरोध किया गया है। सरकारी अधिवक्ता का कहना है कि भारतीय वन अधिनियम–1927 की धारा–52(3) के तहत् राज्यसात की कार्रवाई तभी विधिवत माना जा सकता है, जब जप्त कोयला वन भूमि सीमान्तर्गत अधिसूचित क्षेत्र से अवैध उत्खनन किया गया है।	

अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता एवं सरकारी अधिवक्ता का बहस सुना तथा निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश, अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेख में संलग्न प्राथमिकी एवं जप्ती सूची तथा पारित आदेश में अवैध खनन की भूमि से सम्बन्धित खाता/प्लॉट का कोई ज़िक्र नहीं है। अतः इस बात की पुष्टि नहीं हो पा रही है कि जप्त की गई वाहन में लदा कोयला अधिसूचित वन सीमा अन्तर्गत उत्खनित है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में भारतीय वन अधिनियम–1927 की धारा–33 के उल्लंघन के आरोप में धारा–52(3) के अन्तर्गत कार्रवाई हेतु पर्याप्त साक्ष्य/आधार नहीं है। अतः प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ के द्वारा राज्यसात वाद संख्या–102/2013 राज्य बनाम् ज्ञानी महतो एवं अन्य में दिनांक–28.03.2016 में पारित आदेश को Set aside की जाती है। इसी आदेश के साथ वाद निस्तारित किया जाता है। निम्न न्यायालय का अभिलेख वापस करें। अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित।

03/03/21

उपायुक्त,
रामगढ़।

03/03/21

उपायुक्त,
रामगढ़।

Digitally signed by SANDEEP SINGH
Date: 2021.03.17 14:09:04 +05:30
Reason: CERTIFIED BY
Location: 192.168.43.219